



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

भारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर

MARATHAHALLI COLONY P.O.

BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1701/Type Approval No.1701

**मद/FOR ITEM: माउंटिंग ट्रे सहित आरएएम 1705ए टी/आर यूनिट/
RAM 1705A T/R Unit with Mounting Tray**

यह प्रमाणित किया जाता है कि एसएलआरडीसी, मेसर्स एचएएल, हैदराबाद-500 042 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, एवियोनिक्स प्रभाग, बालानगर, हैदराबाद-500 042 द्वारा उत्पादित माउंटिंग ट्रे पार्ट सं. 148335 सहित “आरएएम 1705ए टी/आर यूनिट” पार्ट सं. एन146910 को एमडीआई दस्तावेज सं. 146910डीएल, इश्यू-5, दिनांक 30/11/2010 के अनुसार एचजेटी-36 वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर.सी.एम.ए(हैदराबाद) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं. एसएलआरडीसी(एचएएल)/आरएडी/आरएएम/आरएएम1705ए_टीएस इश्यू-003 दिनांक मार्च 2009 एवं क्यूटीपी रिपोर्ट सं. एसएलआरडीसी(एचएएल)/आरएडी/आरएएम/आरएएम1705ए_एलक्रयूटीपी इश्यू-001, दिनांक जनवरी 2009 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट‘ए’ में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the “RAM1705A T/R Unit” bearing the Part No. N146910 with Mounting tray Part No. N148335, designed & developed by SLRDC, M/s. HAL, Hyderabad-500 042 and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Avionics Division, Balanagar, Hyderabad – 500 042, is hereby approved for production as per MDI DOC No.146910 DL, Issue-5, Dt.30/11/2010, for use on HJT-36 aircraft. The product has been tested in co-ordination with RCMA (Hyd) as per Technical Specification No. SLRDC(HAL)/RAD/RAM/RAM1705A_TS, Issue-003, Dt. Mar 2009 and QTP Report No. SLRDC(HAL)/RAD/RAM/RAM1705A_LQTP Issue-001 Dt. Jan 2009. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन **31 दिसम्बर 2016** तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (हैदराबाद)**, बालानगर, हैदराबाद - 500 042 से अनुसोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2016 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyd), Balanagar, Hyderabad- 500 042 for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो **सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक)**, बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए **डी.जी.ए.क्यू.ए**, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष के क्लीयरेंस निकासी एवं दर्शायी गई विधि के स्पष्ट रूप से कड़े अनुपालन पर आधारित है।


This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट-‘ए’/Appendix-‘A’


सं/No. : सेमिलेक /CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1701

दिनांक/Date : **13 Dec 2011**

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


(**डॉ. के.तमिलमणि/ Dr. K.T. MILMANI**)
विशिष्ट वैज्ञानिक /Distinguished Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)


13 Dec 11


13/12/2011


13/12/11